



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092025-266439
CG-DL-E-26092025-266439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4232]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947

No. 4232]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2025

का.आ. 4351(अ).— केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना, संख्यांक का.आ.2120,(अ) तारीख 15 जून, 2016 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, तारीख 15 जून, 2016 को प्रकाशित हुई थी, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सदस्य (धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त) शीर्षक के अधीन, -

(क) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

“12. निदेशक, परिवार कल्याण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, नाहरलागुन-791110”,

(ख) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“25क. उप श्रम आयुक्त, मणिपुर।

- 25ख. प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम, मेघालय।
 25ग. निदेशक, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग, मिजोरम सरकार।
 25घ. संयुक्त श्रम आयुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम, नागालैंड।
 25ङ. अपर श्रम आयुक्त- सह-निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम, श्रम विभाग, सिक्किम सरकार।
 25च. निदेशक, बीमा चिकित्सा सेवाएं, हैदराबाद, तेलंगाना।
 25छ. श्रम आयुक्त, श्रम निदेशालय, श्रम भवन, ऑफिस लेन, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा सरकार।

(ii) सदस्य (प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायियों के संगठनों के साथ परामर्श से धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त) शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“34. डॉ. ज्योति बाली
 भारतीय चिकित्सा संघ (मुख्यालय)
 आईआईपीए बिल्डिंग, इंद्रप्रस्थ एस्टेट
 महात्मा गांधी रोड, नई दिल्ली -110002
 ईमेल: jyotibali27@gmail.com.

[फा. सं. यू-16012/03/2023-एसएस-1]

आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ.2120 (अ) तारीख 15 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ.1418 (अ) तारीख 15 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित हुई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2025

S.O. 4351(E).— In pursuance of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, issued *vide* number S.O. 2120(E), dated the 15th June, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 15th June, 2016, namely:-

In the said notification,-

(i) under the heading Members (Appointed by the State Government concerned under clause (d) of sub-section (1) of section 10),-

(a) For serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely : -

“12. The Director of Family Welfare, Department of Health and Family Welfare, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun-791110”,

(b) after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“25A. The Deputy Labour Commissioner, Manipur.

- 25B. The Administrative Medical Officer, Employees' State Insurance Scheme, Meghalaya
- 25C. The Director, Labour, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Department, Government of Mizoram.
- 25D. The Joint Labour Commissioner and CEO, Employees' State Insurance Scheme, Nagaland
- 25E. The Additional Labour Commissioner-Cum-Director, Employees' State Insurance Scheme, Labour Department, Government of Sikkim.
- 25F. The Director, Insurance Medical Services, Hyderabad, Telangana.
- 25G. The Labour Commissioner, Labour Directorate, Shrama Bhawan, Office Lane, Agartala, West Tripura, Government of Tripura”.

(ii) under the heading, MEMBERS (Appointed by the Central Government under clause (g) of sub-section (1) of section 10 in consultation with organisations of medical practitioners recognised by the Central Government for the purpose), after serial number 33 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“34. Dr. Jyoti Bali
Indian Medical Association (Headquarters)
IIPA Building, Indraprashta Estate
Mahatama Gandhi Road, New Delhi -110002
Email : jyotibali27@gmail.com.”.

[F. No. U-16012/03/2023-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2120(E) dated the 15th June, 2016 and last amended *vide* notification number S.O 1418(E) dated 15th March, 2024.